रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25012022-232893
CG-DL-E-25012022-232893

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 47] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 24, 2022/माघ 4, 1943
No. 47] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 24, 2022/MAGHA 4, 1943

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण
आदेश

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 2021

फा. सं. CEA-PS-13-23(13)/1/2021-PSPM Division.—जबकि मेसर्स एबीसी सोलर (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय मकान नं.6-3-680/8/3, प्लाट नं.-3, दूसरी मंजिल, पी. एम. आर प्लाजा, ठाकुर मेंशन लेन, सोमाजीगुडा, हैदराबाद-500082 है, ने पारेषण योजना "बाप तहसील, जोधपुर, राजस्थान में अपने 300 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना के लिए एबीसी सोलर (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड की कनेक्टिविटी सिस्टम" के तहत बिजली की तारें बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है।

और जबकि, के.वि.प्रा., विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. I/15785/2021 दिनांक 02.06.2021 के द्वारा पारेषण योजना "बाप तहसील, जोधपुर, राजस्थान में अपने 300 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना के लिए एबीसी सोलर (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड की कनेक्टिविटी सिस्टम" के लिए मेसर्स एबीसी सोलर (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड को विद्युत अधिनियम की धारा 68(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।

मेसर्स एबीसी सोलर (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड ने स्थानीय अखबारों दिनांक 10.06.2021 (हिंदुस्तान टाइम्स), दिनांक 21.08.2021 (दैनिक नवज्योति) तथा भारत का राजपत्र साप्ताहिक दिनांक 04 सितंबर -10 सितंबर, 2021 को, प्रकाशित किया गया था । जिसमें पारेषण योजना के लिए प्रस्तावित पारेषण मार्ग पर प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर आम जनता की टिप्पणियों / अभ्यावेदन की मांग करते हुए नोटिस प्रकाशित किया था । इसके पश्चात, मेसर्स एबीसी सोलर (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड ने 05.11.2021 दिनांकित एक हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें घोषणा की गई कि

समाचार पत्रों / भारत का राजपत्र में उपरोक्त पारेषण योजना के लिए सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर जनता से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं की गई है।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत पारेषण योजना "बाप तहसील, जोधपुर, राजस्थान में अपने 300 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना के लिए एबीसी सोलर (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड की कनेक्टिविटी सिस्टम" के तहत विद्युत लाइन बिछाने के लिए उसे वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए या स्थापित होने वाली टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है।

इस योजना के तहत निम्नलिखित ओवरहेड लाइनें शामिल हैं –

बाप तहसील, जोधपुर में एबीसी भादला सौर ऊर्जा संयंत्र - भादला-द्वितीय पीएस 220 केवी एस/सी लाइन ।

स्कीम के अंतर्गत आवरित ट्रांस्मिशन लाइन्स निम्नलिखित तहसीलों, तालुकों, मंडलों, ब्लॉक, गांवों, नगरों तथा शहरों से, ऊपर, आसपास तथा बीच से होकर गुजरेगी.

राज्य: राजस्थान		
गावों के नाम	**तहसील**	**ज़िला**
नया गांव (न्यू विलेज), बड़ी सिड, कान जी की सिद्द।	बाप	जोधपुर

अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, मेसर्स एबीसी सोलर (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड को उपरोक्त स्कीम के अंतर्गत आवरित ट्रांस्मिशन लाइन्स को लगाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो टेलीग्राफ के उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए या स्थापित होने वाली टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है -

(i) यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।

(ii) आवेदक को प्रस्तावित लाइनों की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकारियों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।

(iii) आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए पारेषण, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।

(iv) आवेदक संबंधित केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइनों का प्रचालन करेगा।

(v) यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अध्यधीन है।

(vi) मेसर्स एबीसी सोलर (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।

(vii) मेसर्स एबीसी सोलर (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड को ओवरहेड लाइन बिछाने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 19.04.2021 जीआईबी (ग्रेट इंडियन बस्टर्ड) मामले के संबंध में 2019 की रिट याचिका संख्या 838, 2020 के आईए नंबर 85618 का पालन करना होगा।

वी. के. मिश्रा, सचिव के.वि.प्रा.

[विज्ञापन-III/4/असा./603/2021-22]

CENTRAL ELECTRICITY AUTHORITY

ORDER

New Delhi, the 24th December, 2021

F. No. CEA-PS-13-23(13)/1/2021-PSPM Division.—whereas M/s ABC Solar (India) Private Limited, the applicant with its registered office at H.No.6-3-680/8/3, Plot No-03, 2nd Floor, PMR Plaza, Thakur Mansion Lane, Somajiguda, Hyderabad-500082, has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of electric lines under the transmission scheme "Connectivity System of ABC Solar (India) Private Limited for its 300 MW Solar Power Project in BAP Tehsil, Jodhpur, Rajasthan".

And whereas, CEA, Ministry of Power, Government of India vide its letter No I/15785/2021 dated 02.06.2021 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 to M/s ABC Solar (India) Private Limited for the transmission scheme "Connectivity System of ABC Solar (India) Private Limited for its 300 MW Solar Power Project in BAP Tehsil, Jodhpur, Rajasthan".

M/s ABC Solar (India) Private Limited has published notice for the transmission scheme in local newspapers dated 10.06.2021 (Hindustan Times), dated 21.08.2021 (Dainik Navjyoti) and in The Gazette of India, dated 04.09.2021 to 10.09.2021, for the general public to make observations/representations on the proposed transmission route within 60 days from the date of publication. Subsequently, M/s ABC Solar (India) Private Limited has submitted an affidavit dated 05.11.2021 declaring that no objection has been received from public within 60 days of publication of Public Notice in newspapers / Gazette of India.

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of electric lines under the transmission scheme "Connectivity System of ABC Solar (India) Private Limited for its 300 MW Solar Power Project in BAP Tehsil, Jodhpur, Rajasthan". The following overhead line is covered under this scheme:

ABC Bhadla Solar Power Plant in Bap Tehsil, Jodhpur – Bhadla-II PS 220kV S/C line.

The transmission lines covered under the scheme will pass through, over, around and between the following of Tehsils, Talukas, Mandals, Blocks, villages, town & cities.

STATE: RAJASTHAN		
Villages Name	Tehsil	District
Naya Gaon (New Village), Badi Sidd, Kan ji ki Sidd.	BAP	Jodhpur

Now, after careful consideration, Central Electricity Authority, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s ABC Solar (India) Private Limited for laying above overhead line, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned lines, namely:

(i) The approval is granted for 25 years;

(ii) The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e. local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed lines;

(iii) The Applicant shall have to follow regulations/codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under Electricity Act, 2003.

(iv) The Applicant shall operate the lines after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government.

(v) The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.

(vi) M/s ABC Solar (India) Private Limited shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defence etc., at the time of Electrical Inspection.

(vii) M/s ABC Solar (India) Private Limited would have to comply with the direction of Hon'ble Supreme Court of India in its Order in I.A No. 85618 of 2020 dated 19.04.2021 related to GIB(Great Indian Bustard) in Writ Petition No. 838 of 2019 for laying of overhead transmission lines.

V. K MISHRA, Secy. CEA

[ADVT. III/4/Exty./603/2021-22]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.01.25 22:45:56 +05'30'